—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 67/2024

उनवान

1. बोदूलाल
2. किशनलाल पि. सुखदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र धूकल,
2. बद्री पुत्र रडमा,
3. रामचन्द पुत्र कल्याण (फौत)
3/1. पांची पत्नी रामचन्द्र
3/2. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र,
3/3. रामा पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति गुर्जर नि0 गादेरी, नसीराबाद
3/4. कमला पुत्री रामचन्द्र पत्नी किशन जाति गुर्जर नि. ग्राम बीर, अजमेर
3/5. विमला पुत्री रामचन्द्र पत्नी कन्हैया गुर्जर निवासी ग्राम हूणो का बेरा, अजमेर।
3/6. शाना पुत्री रामचन्द्र पत्नी भागचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनेवडा
3/7. कानी पुत्री रामचन्द्र पत्नी अगरेज जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंडियानी
3/8. चुका पत्नी पुखराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद
3/9. संजू पुत्री रामचन्द्र पत्नी तेजू जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
—— अप्रार्थीगण :—

5. मन्ना,
6. गोपाल पुत्र सुखदेव जसति गुर्जर, नि0 गादेरी, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
3, 5, 6 अनुपस्थित व 4 जरियें राज. पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 28.11.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1510/3039 रकबा 0.04 की आराजी कि ग्राम गोदरी में स्थित है। ग्राम गादेरी के खाता संख्या 232/214 कुल रकबा 2.20 है. भूमि प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगणके नाम खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के खेत के उत्तर दिशा में सडक स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के पास प्रार्थीगण का बाडा भी है। सडक व भूमि के [illegible] प्रार्थीगण द्वारा रोडी डालकर प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि से महरूम करने पर आमादा है [illegible] प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा आम [illegible] करना [illegible] है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3, 5, 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहें। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पदा को लेकर प्रार्थी द्वारा दिवानी वाद व अन्य राजस्व वाद भी पेश किये हुये है। प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी हेतु भी आवेदन हाजा न्यायालय में पेश किया है। समस्त वाद की विषय वस्तु समान ही है। वादग्रसत सम्पदा पर प्रार्थी का कोई हक नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 3के वारिसान अभिलेख पर लिये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम गादेरी के हाल खाता संख्या 232/214 किता 12 रकबा 2.20 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण कर कथन है कि खसरा नम्बर 1510/3039 में खातेदारी भूमि के पास बाडा है। उक्तआराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल किया जा रहा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के सबंध में पूर्व में हाजा न्यायालय में राजस्व वाद व सिविल न्यायालय में भी प्रकरण में पेश किये है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी की है। किन्तु प्रार्थना पत्र में बाडा व खातेदारी भूमि बाबत विवरण को स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी के खेत के पास स्थित बाडे का खसरा नम्बर व स्वामित्व की स्थित प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो से स्पष्ट नही होती है। पूर्व में विचाराधीन प्रकरण बाबत भी प्रार्थीगण द्वारा कोई कथन नही किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :—

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी के तथ्य प्रथम दृष्टया सिद्व नही होते है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बैचान अथवा हस्तांतरण नही किया जा सकता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :—

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :—ग्राम गादेरी की [illegible] प्रार्थना पत्र “खारिज” किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद